तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एलआर / 2002 / 2980 / जोधपुर** **सरकार बनाम खमूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ
श्री हरिशंकर गोयल, सदस्य

उपस्थित :–
श्री राजेन्द्र प्रसाद मीणा, उप राजकीय अभिभाषक प्रार्थी
श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अप्रार्थी

––

दिनांक : 15 जनवरी, 2020

आदेश

1. यह रेफरेंस अपर जिला कलक्टर, जोधपुर ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा–82 के अन्तर्गत अपने निर्णय दिनांक 27–8–2094 द्वारा अनुशंषा करते हुए मण्डल को प्रेषित किया है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार से हैं कि तहसीलदार, फलौदी ने एक रेफरेन्स न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर के समक्ष अप्रार्थी खेमूराम के विरूद्ध इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम कानासर तहसील फलौदी में स्थित आराजी खसरा नम्बर–1555 रकबा 65 बीघा भूमि सिवायचक में दर्ज थी। दिनांक 22–2–1970 को ग्राम कानासर में भूमि आबंटन सलाहकार समिति की बैठक रखी गई थी और दिनांक 22–5–1970 को अप्रार्थी के पक्ष में खसरा नम्बर–1555 में 65 बीघा भूमि का आबंटन बताकर नामान्तरकरण संख्या–334 के द्वारा गैर खातेदारी का इन्द्राज अप्रार्थी ने करवा लिया। उसके बाद नामान्तरकरण संख्या–644 दिनांक 14–5–1986 द्वारा खातेदारी अधिकार भी प्राप्त कर लिये गये। वास्तव में अप्रार्थी को किसी भी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एलआर / 2002 / 2980 / जोधपुर** **सरकार बनाम खमूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रकार की भूमि का कोई आबंटन नहीं किया गया था। अप्रार्थी ने फर्जकारी करके इस प्रकार से राजस्व रिकार्ड में भूमि अपने नाम दर्ज करवा ली और आबंटन के 12 वर्ष के बाद गैर खातेदारी में इन्द्राज करवा ली। इसकी शिकायत होने पर उपखण्ड अधिकारी, फलौदी ने जांच की तो आबंटन पंजिका में इस आबंटन का कोई इन्द्राज नहीं था इसलिये इसे फर्जी आबंटन माना गया इसलिये तहसीलदार, फलौदी ने रेफरेन्स प्रस्तुत कर नामान्तरकरण संख्या–334 व 644 को निरस्त करने की प्रार्थना की। 3. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर ने प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया। अप्रार्थी ने न्यायालय अतिरिक्ज जिला कलेक्टर, जोधपुर में उपस्थित होकर कथन किया कि प्रकरण न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नहीं है। राजस्व रिकार्ड की वर्तमान स्थिति में परिवर्तन हो चुका है। तत्समय भूमि आबंटन के अधिकार तहसीलदार के पास थे और उन्होंने ही आबंटन किया था। आबंटन से आदिनांक तक भूमि पर अप्रार्थी का ही कब्जा काश्त है। अप्रार्थी ने कोई फर्जी रिकार्ड तैयार नहीं किया और ना ही कोई फर्जकारी की है। उपखण्ड अधिकारी ने जो जांच की है, वह एकतरफा जांच की है और अप्रार्थी से कोई पूछताछ नहीं की। इसलिये प्रार्थना पत्र तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। 4. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, जोधपुर ने उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 27–8–1994 को निर्णय पारित करते हुये तहसीलदार फलौदी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 के	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एलआर / 2002 / 2980 / जोधपुर** **सरकार बनाम खमूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	तहत प्रकरण राजस्व मण्डल में प्रेषित करने का निर्णय पारित किया। 5. राजस्व मण्डल में रेफरेन्स प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया एवं अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। 6. बहस उभयपक्ष सुनी गयी। 7. विद्वान उप राजकीय अभिभाष ने रेफरेन्स में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये बहस में कथन किया कि आराजी खसरा नम्बर–1555 रकबा 856 बीघा 6 बिस्वा राजस्व अभिलेख खसरा गिरवारी संवत 2023–2026 में गैर मुमकिन ठरडा दर्ज थी। अप्रार्थी ने कथन किया कि उसे उक्त भूमि खसरा नम्बर–1555 रकबा 65 बीघा आबंटन सलाहकार समिति ने ग्राम कानासर में आबंटित की थी लेकिन उपखण्ड अधिकारी, फलौदी की जांच में ऐसा कोई आबंटन होना नहीं बताया गया है। इसलिये अप्रार्थी के कथनों पर विश्वास नहीं किया जा सकता है। विवादित भूमि की किस्म गैर मुमकिन ठरडा होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–16 के अन्तर्गत उक्त भूमि प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिसका आबंटन भी नहीं किया जा सकता है ऐसी स्थिति में अप्रार्थी के कथनों को सही मानने का कोई कारण नहीं है इसलिये आबंटित भूमि का नामान्तरकरण 12 वर्षो के बाद तसदी किया गया है जो कि प्रथम दष्टया ही संदिग्ध प्रस्तुत होता है। अतः राजस्थान भू राजस्व (कृषि भूमि हेतु भूमि का आबंटन) नियम–1970 के नियम–14(4) के अन्तर्गत नामान्तरकरण संख्या–334, 644 को निरस्त किया	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एलआर / 2002 / 2980 / जोधपुर** **सरकार बनाम खमूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	जाकर भूमि सिवायचक दर्ज की जाये। 8. अप्रार्थी के विद्वान अभिभाष ने बहस का जवाब देते हुये कथन किया कि जिस वक्त भूमि आबंटित हुई थी, उस वक्त भूमि सिवायचक दर्ज थी। आबंटन तहसीलदार फलौदी ने किया था जो कि तत्कालिन नियमों के अनुसार प्राधिकृत अधिकारी था। आबंटन कार्यवाही के रजिस्टर की प्रतिलिपि प्रस्तुत हुई है। रेफरेन्स गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है। 9. हमने उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की विद्वतापूर्ण बहस पर मनन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। 10. पत्रावली का अवलोकन करने से ज्ञात होता है कि तहसीलदार फलौदी ने अपने प्रार्थना पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रकरण की जांच उपखण्ड अधिकारी से करवाई गई थी जिसमें उन्होंने माना है कि ऐसा कोई आबंटन नहीं हुआ और फर्जकारी करके इस तथाकथित आबंटन के 12 वर्षो के पश्चात नामान्तरकरण संख्या–334 तसदीक करवाया गया और अप्रार्थी को गैर खातेदार दर्ज किया गया। नामान्तरकरण संख्या–644 द्वारा अप्रार्थी को खातेदार दर्ज किया गया। पत्रावली में संलग्न नकल खसरा गिरदावरी संवत 2023–2026 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–1555 रकबा 856 बीघा 6 बिस्वा पर मिल्कियत सरकार दर्ज है जिसकी किस्म गैर मुमकिन ठरडा अंकित की हुई है। इस प्रकार भूमि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>रेफरेन्स / एलआर / 2002 / 2980 / जोधपुर</u>** **सरकार बनाम खमूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	1955 की धारा–16 के अन्तर्गत प्रतिबंधित भूमि की श्रेणी में आती है जिस पर किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किये जा सकते। ऐसी स्थिति में उपखण्ड अधिकारी की जांच को अस्वीकार करने का कोई कारण नजर नहीं आता है। 11. फलस्वरूप रेफरेन्स स्वीकार किया जाकर नामान्तरकरण संख्या–334 एवं 644 निरस्त किया जाता है तथा आराजी खसरा नम्बर–1555/1 रकबा 65 बीघा को सिवायचक किस्म गैर मुमकिन ठरडा दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (**हरि शंकर गोयल**) **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स / एलआर / 2002 / 2980 / जोधपुर** **सरकार बनाम खमूराम**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए